संख्या– 1901 /नौ–7–2022–41(ज)/2021

प्रेषक,

अमृत अभिजात,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. निदेशक,स्थानीय निकाय निदेशालय,उ0प्र0 लखनऊ।
2. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम,उ0प्र0।
3. समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत,उ0प्र0।

नगर विकास अनुभाग–7 **लखनऊ : दिनांक : 06 दिसम्बर, 2022**

विषयः नगरीय निकायों में निर्माणाधीन/निर्मित कान्हा गौशाला के संचालन के संबंध में।

महोदय,

अवगत है कि कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना के अन्तर्गत नगरीय निकायों में न्यूनतम 500 गौवंशों हेतु मॉडल आगणन के अनुसार कान्हा गौशाला/पशु आश्रय स्थल के निर्माण कार्य हेतु ₹ 165. 89 लाख की प्रशासकीय वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जाती है एवं तदनुसार निकायों में कान्हा गौशाला/पशु आश्रय स्थल बनाये जाते हैं।

उक्त के अतिरिक्त निकायों से यह अपेक्षा की जाती है कि **निकाय स्वयं के संसाधनों** द्वारा उक्त कान्हा गौशाला/पशु आश्रय स्थल में रखे गये निराश्रित/बेसहारा गौवंशों के भरण–पोषण की व्यवस्था करेंगे। निकायों द्वारा निराश्रित/बेसहारा गौवंशों के भरण–पोषण हेतु अतिरिक्त धनराशि की मांग किये जाने की स्थिति में शासन द्वारा ₹ 30 प्रतिदिन प्रति पशु के आधार पर निकायों को धनराशि अवमुक्त की जाती है।

2. शासन के संज्ञान में यह आया है कि कतिपय निकायों द्वारा गौशाला/बेसहारा पशु आश्रय स्थल के **पहुँच मार्ग** को बनाने हेतु कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजनान्तर्गत धनराशि की माँग की जाती है।

निकायों द्वारा गौवंशों के भरण–पोषण हेतु भूसे एवं हरे चारे के **पर्याप्त भंण्डारण की व्यवस्था नहीं** की जाती है, जिससे Off Season में भूसे/चारे के क्रय करने में निकायों को अत्यधिक व्ययभार का वहन करना पड़ता है।

उक्त के अतिरिक्त निकायों द्वारा गौशाला में **उत्पादित दूध का अपव्यय** किया जाता है, **गोमय उत्पादों की निर्माण एवं विक्रय हेतु विशेष प्रयास नहीं** किये जाते हैं। उक्त के कारण निकायों की गौशालाएं आत्मनिर्भर नहीं हो पा रहीं है।

3. उक्त के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया गौशाला के निर्माण एवं संचालन के विषयगत निर्गत अन्य संगत शासनादेशों में दिये गये निर्देशों के साथ ही निम्नलिखित बिन्दुओं के संबंध में आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें:–

(1) निकाय द्वारा स्वयं के संसाधनों या केन्द्र/राज्य द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं/सांसद निधि/विधायक निधि/निकाय निधि इत्यादि योजनाओं के **कन्वर्जेस् (Convergence) के माध्यम से कान्हा गौशाला/पशु आश्रय स्थल के पहुँच मार्ग** का आवश्यकतानुसार निर्माण/मरम्मत सुनिश्चित किया जाय।

(2) निकाय द्वारा कान्हा गौशाला में रखे गये गोवंशों के भरण–पोषण हेतु भूसे, हरे चारे, चोकर–चुन्नी इत्यादि के **पर्याप्त भण्डारण** हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाय, जिससे कि Off Season में भूसे/चारे के क्रय करने में निकायों को अत्यधिक व्ययभार का वहन करना न पड़े।

-2-

(3) निकाय द्वारा भूसे के साथ–साथ **हरे चारे का भी उपयोग** गोवंशों को खिलाने हेतु किया जाय। हरे चारे का भण्डारण **'हे/साइलेज'** के रूप में किया जा सकता है।

(4) नगरीय निकाय के बाहरीय परिधि पर स्थित ग्रामीण क्षेत्रों की **गोचर भूमि** का उपयोग गौशाला में रखे गये गौवंशों के लिए हरे चारे उगाने हेतु किया जा सकता है। इस हेतु संबंधित के साथ MoU किया जा सकता है।

(5) गौशाला में रखे गये गौवंशों को **संतुलित आहार** अर्थात् भूसा एवं हरे चारे के साथ–साथ सेंधा नमक गुड़ इत्यादि भी दी जानी चाहिए।

(6) नगरीय निकाय में **'पहली रोटी गाय को और आटे का चोकर गाय को'** अभियान चलाया जाय। सप्ताहन्त या सुविधानुसार निकाय के निवासियों से रोटी/चोकर को एकत्र किया जा सकता है।

(7) निकाय के गौशाला में **उत्पादित दूध, बछड़ों/बछियों (Calves) के देखभाल हेतु आवश्यक दूध के पश्चात अवशेष दूध का विक्रय रजिस्टर्ड सहकारी संस्था** यथा पराग डेयरी इत्यादि या खुले बाजार में, **जहाँ विक्रय मूल्य अधिक हो,** विक्रय किया जा सकता है तथा उक्त धनराशि का उपयोग गौशाला के संचालन एवं अनुरक्षण में किया जाय।

(8) **गोमय उत्पादों** यथा बायोगैस कम्पोस्ड खाद, गौमूत्र, सप्त गव्य, गोकाष्ठ इत्यादि के उत्पादन एवं विक्रय हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाय। शीतऋतु में निकायों में आवश्यकतानुसार अलाव जलाने में लकड़ी के स्थान पर गोकाष्ठ का उपयोग करते हुए लकड़ी पर किये जाने वाले व्यय गौशाला के संचालन/अनुरक्षण में लगाया जा सकता है।

उक्त के अतिरिक्त गोबर/गोबर के खाद के विक्रय से प्राप्त धनराशि का भी उपयोग गौशाला के संचालन/अनुरक्षण में किया जाय।

(9) नगरीय क्षेत्रों में कान्हा गौशाला में रखे गये गौवशों के भरण पोषण हेतु गौवंश को **गोद लिये जाने** के विषयगत जागरूकता अभियान चलाते हुये आवश्यक कार्यवाही की जा सकती है।

(10) कान्हा गौशाला में रखे गये गौवंशों को नगरीय निकायों के अधिकारी/कर्मचारी/अन्य विभागों के अधिकारी/कर्मचारी/गौ प्रेमी द्वारा प्रति गौवंश न्यूनतम ₹ 900/– प्रति माह (30X30=900/- प्रति गौवंश के भरण–पोषण पर होने वाले न्यूनतम मासिक व्यय) का भुगतान कर गौवंश को गोद लिया जा सकता है।

(11) उक्त के अतिरिक्त कान्हा गौशाला का संचालन हेतु निजी गौशाला के साथ MoU भी किया जा सकता है। उक्त के विषयगत पशुधन विभाग द्वारा किये गये MoU का संदर्भ लिया जा सकता है।

भवदीय,

(अमृत अभिजात)
प्रमुख सचिव।